भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.1365
उत्तर देने की तारीख: 25.07.2022

गनी खान चौधरी इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग

†1365. श्री खगेन मुर्मु:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गनी खान चौधरी इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अन्य विनियामक निकायों के भर्ती प्रक्रिया, शिक्षण तथा अन्य कार्मिकों की योग्यता सम्बंधी दिशानिर्देशों का पालन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुभाष सरकार)

(क) से (ग) जी हां। गनी खान चौधरी इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान (जीकेसीआईईटी) में पिछले पांच वर्षों के दौरान शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) और संस्थान के संगम ज्ञापन (एमओए) जैसे नियामक निकायों द्वारा जारी किए गए भर्ती नियमावली और प्रासंगिक दिशानिर्देशों के अनुसार की गई है। पिछले पांच वर्षों के दौरान अर्थात नियमित निदेशक, जीकेसीआईईटी की नियुक्ति के बाद भर्ती किए गए शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की कुल संख्या निम्नानुसार है:

वर्ष	शिक्षण कर्मचारी	गैर-शिक्षण कर्मचारी
2019	12	0
2021	20	16
2022	0	05

****